

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2018-वैशाख 7, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Alan M. Thomas S/o Shri Thomas Mathai, R/o 11/3, Sanjay Complex, Phase II, South T. T. Nagar, Bhopal-462003 declares that in my educational records and other documents my name is written as Alan M. Thomas The expanded form of my middle name M may please be read as Mukkaranathu and henceforth my full name may be read as Alan Mukkaranathu Thomas Hereinafter I will be known as Alan Mukkaranathu Thomas for all official and practical purpose and my signature remains the same

Old Name:

(Alan M. Thomas)

(40-B.)

New Name :

(Alan Mukkaranathu Thomas)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. प्रेरणा कुकरेजा पिता सुरेश कुकरेजा था एवं विवाह के बाद मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती प्रेरणा कुकरेजा जैन पति प्रयास जैन हो गया है. अतः अब मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. प्रेरणा कुकरेजा)

(41-बी.)

नया नाम :

(प्रेरणा कुकरेजा जैन)

पति प्रयास

पता-1430 सेक्टर-बी, स्कीम नं. 71,

विद्या वस्तिका हॉस्टल के पास,

इंदौर-452009 (म. प्र.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती ज्योति कहार आज से अपना उपनाम कहार के स्थान पर अजनेरिया कर रही हूँ। वर्तमान, भविष्य में इसी नाम से जानी, पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम :

(ज्योति कहार)

पत्नी श्री जगदीश प्रसाद अजनेरिया।

(42-बी.)

नया नाम :

(ज्योति अजनेरिया)

पत्नी श्री जगदीश प्रसाद अजनेरिया,
ग्राम-सेवनिया गौड़, सूरज नगर, भदभदा रोड,
भोपाल (म. प्र.)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मध्यप्रदेश शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। पूर्व में मेरा नाम शकुन्तला कुशवाह पुत्री श्री जवाहर सिंह कुशवाह था। साथ ही मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय सेवा संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम शकुन्तला कुशवाह अंकित है। शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम शकुन्तला गौतम पत्नी श्री आनन्द स्वरूप सिंह गौतम हो गया है और यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं वोटर कार्ड में अंकित है। भविष्य में मुझे शकुन्तला गौतम के नाम से जाना-पहचाना जावे और शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन एवं भत्ता मेरे परिवर्तित नाम शकुन्तला गौतम के नाम से प्रदान की जावे एवं भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय कार्य मेरे परिवर्तित नाम शकुन्तला गौतम पत्नी श्री आनन्द स्वरूप सिंह गौतम के नाम से ही सम्पन्न किये जायें।

पुराना नाम :

(शकुन्तला कुशवाह)

(43-बी.)

नया नाम :

(शकुन्तला गौतम)

349-बी, जीवाजी नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर-474011.**CHANGE OF NAME**

I, Sharmila Bai W/o Basant Kumar Baghai, R/o Flat No. 202, Param Avenue, 104 Palace Colony, Indore, M. P. have changed my name to Shama Baghai in all records deeds and transactions whatsoever.

Old Name:

(Sharmila Bai)

(45-B.)

New Name :

(Shama Baghai)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का घर का नाम निखिल मिश्रा पुत्र श्री ब्रम्हानंद मिश्रा था, जो कि उसके स्कूल के कागजों में, आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागजों में अनमोल मिश्रा पुत्र श्री ब्रम्हानंद मिश्रा अंकित है। उक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं अतः भविष्य में मेरे पुत्र को अनमोल के नाम से ही पहचाना जावे।

(46-बी.)

ब्रम्हानंद मिश्रा,

ए. बी. रोड, मोहना,

जिला ग्वालियर (म. प्र.).

CHANGE OF NAME

That I was known as Ravi Sahu I have changed my Name and henceforth I shall be known as Ravi Shankar Sahu S/o Shri Tulsī Ram Sahu, Resident of 2376, Premsagar, Police Choki ke Samne, Jabalpur, M.P.-482002.

Old Name:

(Ravi Sahu)

(51-B.)

New Name :

(Ravi Shankar Sahu)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी के पूर्व नंदा एकनाथ चंद्रिकापुरे था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक, बैंक, आधारकार्ड, शासकीय व अर्द्धशासकीय व सरकारी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज था, अब विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर डॉ. परिणीता टेभुर्णे पति श्री कमल किशोर टेभुर्णे, पता ई-20, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर हो गया है. अतः आज से मेरे समस्त दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से लिखा, पढ़ा, बोला व जाना जावे.

पुराना नाम :

(नंदा एकनाथ चंद्रिकापुरे)

(52-बी.)

नया नाम :

(परिणीता टेभुर्णे)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार की फर्म गोयल उद्योग, सेंधवा भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार (1) श्यामसुंदर गोयल, (2) विमलाबाई गोयल, (3) किशन गोयल, (4) मुरारी गोयल, (5) गोविन्द गोयल हैं. दिनांक 01-04-2018 को उक्त फर्म में से (1) श्यामसुंदर गोयल ने उक्त फर्म से पृथक होने की इच्छा व्यक्त करके अपना-अपना हिस्सा लेकर दिनांक 01-04-2018 को फर्म से पृथक हो गये हैं. इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रशासन से 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मेरे कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

संकेत कुशवाह (अभिभाषक),

नंद कॉलोनी, सेंधवा,

जिला-बड़वानी (म. प्र.).

(47-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अनिल पिता भैरूलाल जी राठौर तथा श्रीमती कविता राठौर पति श्री अनिल राठौर के निगमन द्वारा मेसर्स सूर्या ऑटोमोबाइल्स, नागोरी प्लाजा, धनवन्तरी मार्ग, टॉवर चौक, उज्जैन एक भागीदार फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में भागीदार श्रीमती कविता राठौर के पूर्व श्री जगदीश सोलंकी पिता श्री सिद्धेश्वरजी सोलंकी भागीदार के रूप में कार्यरत थे. दिनांक 31-10-2017 से उक्त भागीदारी फर्म के भागीदार श्री जगदीश सोलंकी अपने संपूर्ण अधिकारों एवं दायित्वों से मेसर्स सूर्या ऑटोमोबाइल्स भागीदारी से निवृत्त हो चुके हैं. उनका इस फर्म से अब कोई लेना-देना नहीं है. उनके स्थान पर उक्त फर्म में संपूर्ण अधिकारों व दायित्व हेतु वर्तमान में श्रीमती कविता राठौर को भागीदार के रूप में सर्वसम्मति से निगमित किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

तर्फ-मेसर्स सूर्या ऑटोमोबाइल्स,

अनिल राठौर,

कविता राठौर

(पार्टनर).

(48-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भूमि बायोटेक्नोलॉजी वेंचर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भोपाल, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0266/16, सन् 2016-17, दिनांक 25-10-2016 में से श्री विकास खण्डेल पुत्र विष्णु प्रसाद खण्डेल एवं श्रीमती सीमा बाई साबनेर पत्नी बालकदास साबनेर, अशोक कुमार खण्डेल पुत्र रामदास खण्डेल की भागीदारी फर्म मेसर्स भूमि बायोटेक्नोलॉजी वेंचर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से दिनांक 10.07.2017 से पृथक हो रहे हैं और श्रीमती अनीता खण्डेल पत्नी अशोक कुमार खण्डेल एवं श्रीमती दुर्गा खण्डेल पत्नी विष्णु प्रसाद खण्डेल दिनांक 10-07-2017 से फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हो रहे हैं.

मेसर्स भूमि बायोटेक्नोलॉजी वेंचर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट,

अशोक कुमार खण्डेल,

(पार्टनर).

(49-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अतुल्य कंस्ट्रक्शन जिसका साझेदारी पंजीयन क्रमांक 01/04/05/00121/09, दिनांक 06 अगस्त, 2009 से राजगढ़, मध्यप्रदेश में पंजीकृत है। मेसर्स अतुल्य कंस्ट्रक्शन के भागीदार 1. प्रताप सिंह गुप्ता पुत्र श्रीमान मनोहर सिंह गुप्ता, निवासी राजगढ़, मध्यप्रदेश, 2. श्रीमति अरुणा हाडा पत्नी श्रीमान मनोज सिंह हाडा, निवासी राजगढ़, 3. श्रीमती अरुंधती सिंह राठौर पत्नी श्रीमान भक्तपाल सिंह, निवासी बैरसिया, भोपाल में से श्रीमती अरुंधती सिंह राठौर पत्नी श्रीमान भक्तपाल सिंह दिनांक 14 दिसम्बर, 2014 भागीदारी व्यवसाय से अलग हो रही हैं।

शैलेश साहू एंड एसोसिएट,

(कर सलाहकार)

प्लॉट नं. 21, नियर होटल आदित्य पैलेस,
जोन-01, एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.).

(54-बी.)

आम सूचना

मैसर्स नर्मदा इंडस्ट्रीज प्लॉट 8, सेक्टर B-II उमरिया डुंगरिया इंडस्ट्रीयल एरिया, जबलपुर जिसका पंजीयन क्र. 04/14/01/0075/16, सन् 2016-17, जिसका पंजीयन दिनांक 24-06-2016 है। जिसमें वर्तमान में दो भागीदार थे, मनीष राय पिता स्व. श्री रविशंकर राय, पता ग्राम सिंहपुर, बनखेड़ी, तहसील जिला होशंगाबाद है एवं श्री दुर्गेश विश्वकर्मा पिता श्री पी. एच. विश्वकर्मा, पता बीजासेन मंदिर के सामने, सुहागी अधारताल, जबलपुर। उक्त भागीदार में से श्री दुर्गेश विश्वकर्मा नर्मदा इंडस्ट्रीज से दिनांक 19-04-17 से फर्म से अलग हो गए एवं दिनांक 19-04-17 को ही श्री मनोज राय पिता स्व. रविशंकर राय, हाल मुकाम जबलपुर नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। अतः किसी भी व्यक्ति या फर्म को कोई आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय में सात दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अतः जनहित में सूचना प्रकाशित की जा रही है।

मे. नर्मदा इंडस्ट्रीज, जबलपुर,

मनीष

(भागीदार).

(53-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी. 5/(वि-1)2018-19/948.—आईटी विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/रीवा की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में एकत्रित कागत की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक 08 मई, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी एवं परिशिष्ट "अ" में दस्तावेजों की फर्म द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित एवं निविदा शर्तों पर फर्म की पदमुद्रा अंकित कर सहमति हस्ताक्षर सहित दिनांक 08 मई, 2018 को की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग दिनांक 08 मई, 2018 को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।
- विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

राजेश कौल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(517)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्रीमती कृष्णा देवी पति स्व. एस. एल. अग्रवाल, निवासी-202, सफायर हाउस 9, स्नेह नगर, मेनरोड, इन्दौर के द्वारा रोहित आई

हॉस्पिटल चेरिटेबल ट्रस्ट, 202, सफायर हाऊस 9, स्नेह नगर, इंदौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	रोहित आई हॉस्पिटल चेरिटेबल ट्रस्ट.
पता	:	202, सफायर हाऊस 9, स्नेह नगर, इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 28 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

संदीप सोनी,

(506)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 03/बी-113/2017-18.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि “माँ गंगाधाम ट्रस्ट” माँ गंगाधाम मंदिर, कोलार रोड, कथललिया नदी रेल्वे, फ्लाई ओवर, ग्राम कोटरा, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	“माँ गंगाधाम ट्रस्ट” माँ गंगाधाम मंदिर, कोलार रोड, कथललिया नदी रेल्वे, फ्लाई ओवर, ग्राम कोटरा, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	:	11000/-
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

अतुल सिंह,

(509)

अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 04 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/575.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भीमाखेड़ी, तहसील बड़ौदा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 255, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को कार्यालय उप-पंजीयक, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर के आदेश क्र./परि./2016/1268, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है।

अतः मैं, सुश्री श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भीमाखेड़ी, तहसील बड़ौदा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 255, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 का पंजीयन निरस्त करती हूँ उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 अप्रैल, 2018 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(507)

श्वेता रावत,
प्रभारी उप-पंजीयक.

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)]

क्र./संपंज/विधि/2018/385.—समय क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1751, जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 से वर्ष 2016-17 एवं पत्र क्रमांक 1792, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 से वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण हेतु आदेश जारी किया गया किन्तु आज दिनांक तक संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-56 के तहत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 06 माह में वार्षिक आमसभा किया जाकर एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत किया जाना था किन्तु आज दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई. साथ ही संस्था के अमानतदार सदस्यों द्वारा शिकायत की जा रही है कि उनकी अमानत राशि आपके द्वारा वापस नहीं की जा रही है जो कि आर्थिक अपराध के तहत अमानत में खयानत किया जाना प्रतीत होता है. संस्था द्वारा अपने पंजीयन पते में परिवर्तन किया गया है किन्तु इस कार्यालय को आज दिनांक तक इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम के पालन करने में चूक की है.

अतः उक्त स्थितियों से यह पाया जा रहा है कि संस्था पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत कार्यवाही करते हुए धारा-70 के तहत परिसमापक क्यो ना नियुक्त किया जाये. इस संबंध में संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र जारी दिनांक से एक माह में अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि इस संबंध में संस्था को कुछ नहीं कहना है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत कार्यवाही की जावेगी.

अतः मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए समय क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को सहकारी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ जो आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(508)

पी. एस. तिवारी,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/755.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयग्राम, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 20 नवम्बर, 1978 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की

अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयग्राम, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 20 नवम्बर, 1978 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(510)

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/756.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रभातपट्टन, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 29 जुलाई, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रभातपट्टन, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 29 जुलाई, 1984 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(511)

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/757.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरजगॉव, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1593, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री हरिओम गुप्ता, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरजगॉव, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1593, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(512)

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/758.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सराण्डी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1568, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री हरिओम गुप्ता, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सराण्डी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(513)

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/759.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा प्राथ. विपणन सहकारी समिति मर्या., प्रभातपट्टन, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1340, दिनांक 10 नवम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री हरिओम गुप्ता, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्राथ. विपणन सहकारी समिति मर्या., प्रभातपट्टन, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1340, दिनांक 10 नवम्बर, 1995 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(514)

बैतूल, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/760.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 26 जुलाई, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सह. निरी. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 26 जुलाई, 2014 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अशोक कुमार शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(515)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 09 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/760.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/448, दिनांक 09 मार्च, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया

गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों की प्रति अपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के बाहर के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, आदि कारणों से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, इससे स्पष्ट है कि संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा जारी सूचना-पत्र में अंकित सभी आरोप संस्था को स्वीकार है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वरूण मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपरी, तह. खरगोन, पंजीयन क्रमांक 2174, दिनांक 26 जुलाई, 2017 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजेश क्षत्री,
उप-पंजीयक.

(516)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/418.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रूचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गौदागाँवकला, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 27-08-2016 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपनी लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/419.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से

संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रूचि नहीं है।
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है।
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है।
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है।
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गौदागाँवकला, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 27-08-2016 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे। छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा माँ रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेसवा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 07-10-2016 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपनी लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है। आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(492)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/422-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रूचि नहीं है।
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है।
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है।
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है।
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 17-08-2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपनी लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है। आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(493)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/423-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा रामदेव मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, भैंसवाड़ा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 205, दिनांक 25 मार्च, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(494)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/424-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा श्री विद्यासागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, हरदा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 09 मई, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(495)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/425-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा नव बहार फल सब्जी उत्पादक थोक एवं फुटकर विक्रेता सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपनी लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(496)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/426-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दूधकच्छ, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 181, दिनांक 04 जनवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(497)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/427-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टेमागाँव, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 179, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यो न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(498)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/428-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोलरिया, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 180, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यो न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(499)

हरदा, दिनांक 23 मार्च, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/429-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 का पालन नहीं करने एवं निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में रुचि नहीं है.
2. संस्था का कार्य कई वर्षों से बंद है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार नहीं की जा रही है.
4. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 एवं संस्था की उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा बुलाने में असमर्थ रही है.
5. संस्था सहकारी विधान के अन्तर्गत संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भादूगौंव, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यो न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं है. आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(500)

छविकान्त वाघमारे,
सहायक आयुक्त (सहकारिता).



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2018-वैशाख 7, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2017

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश शुष्क रहा तथा वर्षा का होना किसी भी जिले में प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- 2. जुताई.**— जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, धार, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 3. बोनी.**— जिला में सतना में चना, मसूर, राई सरसों, जिला धार, आगर में गेहूँ चना, जिला डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर तथा जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 4. फसल स्थिति.**—जिला शहडोल में तहसील ब्योहारी, जयसिंहनगर में धान, कोदों-कुटकी, तिल, शाजापुर में खरीफ फसलों पर अल्प वर्षा से 40 प्रतिशत क्षति, जिला अलीराजपुर की तहसील जोवट, चन्द्रशेखर आजाद नगर व कटटीवाड़ा में उडद पर मेजिक रोग का प्रभाव, जिला हरदा में खरीफ फसलें आंशिक रूप से प्रभावित तथा शेष जिलों में फसलें संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 5. कटाई.**— जिला अनूपपुर में धान, सोयाबीन की कटाई, जिला बुरहानपुर में कपास की चुनाई, जिला सीहोर, डिण्डोरी व बालाघाट, होशंगाबाद में धान की कटाई, जिला बैतूल में सोयाबीन, मूंगफली, धान, मक्का की एवं जिला उज्जैन, खरगौन, राजगढ़ व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 6. सिंचाई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 7. पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 8. चारा.**— प्रायः राज्य के सभी जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 9. बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 10. खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, ज्वार, कपास समान. धान, गन्ना, ज्वार, तुअर, ग्वार, कपास सुधरी हुई. (2) शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. गोरमी 7. रौन/मिहोना 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .				
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	. .				
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल हेतु जुताई कार्य चालू. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .				
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .				
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी की बुवाई का कार्य प्रारम्भ है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. रेपुरा	..				
6. अमानगंज	..				
7. देवेन्द्र नगर	..				
8. सिमरिया	..				
9. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम है. (2) उपरोक्त फसलें कम हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. कंसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. रबी फसल की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, ज्वार, धान, तुअर, चना, मटर, गेहूँ, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. चना, मसूर, अलसी राई-सरसों की बोनी कार्य चालू. धान पर रोग व कीड़ों पर आंशिक प्रभाव.	3. . . 4. (1) . . (2) अरहर सामान्य. धान बिगड़ी.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है. तहसील ब्योहारी एवं जयसिंह नगर में धान, कौंदो-कूटकी, तिल फसलों पर अल्प वर्षा से 40% क्षति है.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, अधिक. कोदों, सोयाबीन समान है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू धान व सोयाबीन की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तुअर, कोदों-राई, अलसी, मसूर समान. (2) धान बिगड़ी, शेष फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू रबी फसल बोनी चालू.	3. . . 4. (1) मक्का, कोदों, मूंगमोठ समान. उड़द, अरहर, ज्वार, तिल अधिक. धान कम. (2) धान बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चौदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है. रबी फसलों की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, राहर, कोदों, धान, अलसी, राई, चना, जौ कम. (2) धान बिगड़ी हुई है. शेष फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधडक्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4.(1) गेहूँ, राई-सरसों कम. चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4.(1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य प्रचलित है. कटाई कार्य प्रचलित है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन सामान्य (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2 बोनी चालू है. गेहूँ, चना की बोनी चालू है.	3. . . 4.(1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है. अल्प वर्षा से खरीफ फसल पर 40% क्षति की सम्भावना है.	3. . . 4.(1) तुअर अधिक. (2) तुअर समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल अधिक. सोयाबीन, कपास, मूंगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूंगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. तहसील जोवट, चं.शे. आ. नगर, कट्टीबाड़ा में फसल उड़द पर येलोमोजेक का प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, उड़द अधिक शेष उड़द बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ चना की बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना समान. मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी बोनी कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की कटाई का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, गन्ना अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट (राजपुर)	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) उड़द, मूँगफली, तुअर, कपास अधिक. सोयाबीन, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास अधिक, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) कपास, तुअर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार कम. कपास, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मूँगफली निल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान, ज्वार.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मटर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसल बोनी कार्य चालू धान की कटाई प्रारंभ.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) धान, मसूर अधिक. ज्वार, तुअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार सामान्य.		
4. गोहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन मूँगफली, धान,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .	मक्का फसल की कटाई	4 (1) मक्का अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .	कार्य चालू है.	धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
4. शाहपुर	. .				
5. चिचौली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई प्रारंभ.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4 (1) धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		सोयाबीन, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेडी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलें अल्प वर्षा	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	से आंशिक रूप से	4 (1) उड़द, मूँग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .	प्रभावित हैं.	सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .	बोनी कार्य चालू है.	4 (1) उड़द, मूँग, अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मक्का, तुअर, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी) मु.	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .				
2. गोटेगाव	. .				
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, मक्का, सोयाबीन, तिल, रामतिल, समान. (2) उपरोक्त फसलें लगभग 20% बिगड़ी हुई है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .				
2. नैनपुर	. .				
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी चालू है. धान की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोदों कुटकी, तुअर, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .				
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान, मूंगफली समान. (2) मक्का, धान समान, सोयाबीन मूंगफली बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .				
2. तामिया	. .				
3. परासिया	. .				
4. जामई	. .				
5. सोंसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पांडुर्णा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. खरीफ की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, समा, उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, मूंग, तिल, रामतिल, सन, अम्बाड़ी कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. बरघाट	. .				
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) धान समान. (2) धान समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .				
2. लाँजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्बा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलाँजी	. .				

टीप :- *जिला खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(505)